उपनिदेशक (प्लान) 21/7/23

मा0 उच्च शिक्षा मंत्री ,उत्तराखण्ड महोदय की अध्यक्षता मे दिनांक 19 मई, 2023 को विधानसभा कार्यालय देहरादून में शैक्षणिक सत्र 2023–24 में प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया समर्थ पोर्टल के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध मे सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति–

- श्री शैलेश बगौली, सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रो0 एन0के0 जोशी, कुलपति, श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय।
- प्रो0 जगत सिंह बिष्ट, कुलपति, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा उत्तराखण्ड।
- प्रो0 ओम प्रकाश सिंह नेगी, कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी।
- प्रो0 सुरेखा डंगवाल, कुलपति, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।
- श्री प्रशान्त आर्य, अपर सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- प्रो0 चन्द्रदत्त सूंठा, निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- डॉ0 एम0एस0एम0 रावत, सलाहकार रूसा, उच्च शिक्षा।
- प्रो0 संजय पन्त, प्रोफेसर, कुमांऊ विश्वविद्यालय, नैनीताल उत्तराखण्ड।
- डॉ0 गोविन्द पाठक, सहायक निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय (हल्द्वानी)।
- श्री बी0आर0 आर्य, अनुभाग अधिकारी, उच्च शिक्षा अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन।
- डॉ0 दीपक कुमार पाण्डेय, सहायक निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय (क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून)।
- डॉ0 एम0एस0 मन्द्रवाल, कुलसचिव, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।
- डॉ0 चमन कुमार, नोडल अधिकारी समर्थ, डिजिटल इनीशियेटिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- डॉ0 शैलेन्द्र कुमार सिंह, सहायक नोडल अधिकारी, डिजिटल इनीशियेटिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड।

बैठक में मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये :–

1. शैक्षणिक सत्र 2023–24 में कुमांऊ विश्वविद्यालय नैनीताल, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा एवं श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया उक्त एकीकृत समर्थ पोर्टल द्वारा सम्पादित की जायें।
2. पोर्टल पर विद्यार्थियों को एक बार पंजीकरण कराते हुए कुमांऊ विश्वविद्यालय नैनीताल, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा एवं श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अधिकतम 10 महाविद्यालयों (राजकीय, अनुदानित व निजी) में आवेदन करने की सुविधा प्रदान की जायेगी।
3. पोर्टल को 'एक प्रवेश, एक परीक्षा, एक परिणाम, एक दीक्षान्त समारोह' के अनुरूप विकसित/संचालित किया जायें। पोर्टल के माध्यम से प्रवेश हेतु विद्यार्थियों के पंजीकरण के उपरान्त मैरिट लिस्ट बनायी जाय एवं विद्यार्थियों के अभिलेखों का भौतिक सत्यापन करने के उपरान्त ही प्रवेश शुल्क लेते हुये प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित की जायें।
4. महाविद्यालय/परिसर के प्रवेश शुल्क का भुगतान के सम्बन्ध में समस्त कुलपतियों द्वारा सुझाव दिया गया कि इस वर्ष भी प्रत्येक संस्थान प्रवेश शुल्क पूर्व की भांति अपनी संस्थागत सुविधा के अनुसार ही भुगतान प्रक्रिया को जारी रखें। जिस पर सभी उपस्थित अधिकारियों द्वारा सहमति जताते हुए इस वर्ष भुगतान प्रक्रिया पूर्व की भांति ही महाविद्यालयों/परिसर स्तर पर उनकी सुविधानुसार जारी रखी जायेगी, किन्तु विद्यार्थियों द्वारा किये गये शुल्क का भुगतान का अंकन

समस्त महाविद्यालयों/परिसर द्वारा इस पोर्टल पर करना अनिवार्य रहेगा।

5. पोर्टल को लॉच करने के उपरान्त पंजीकरण प्रक्रिया 24 जून, 2023 तक जारी रहेगी तथा 25 जून, 2023 से समस्त महाविद्यालयों/परिसर पोर्टल के माध्यम से मैरिट निर्मित कर प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करेंगे। यह प्रक्रिया 08 जून, 2023 तक निरन्तर जारी रहेगी तथा 10 जुलाई 2023 को प्रथम सेमेस्टर की कक्षाऐं प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
6. समस्त विश्वविद्यालय ERP से सम्बन्धित समस्त कार्य समर्थ पोर्टल के माध्यम से ही संचालित करेंगे तथा पृथक ERP सिस्टम का प्रयोग भविष्य में पृथक रूप से नही किया जायेगा।
7. पोर्टल के सम्बन्ध में समस्त विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा निदेशालय तथा समस्त महाविद्यालय समय–समय पर प्रचार करेंगे तथा विद्यार्थियों हेतु इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रयास करेंगे।
8. समस्त विश्वविद्यालय पोर्टल पर प्रवेश नियमावली, विवरणिका, हेल्प लाइन, नम्बर इत्यादि अंकित करवायेंगे तथा इस पोर्टल पर विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित समस्त महाविद्यालयों/परिसरों में संचालित पाठ्यक्रमों, विषयों व समूहों, प्रवेश नियम, आरक्षण नियम इत्यादि त्रुटिरहित रूप में अंकित करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त के सम्बन्ध में त्रुटि के आसार न्यूनतम हो।
9. पोर्टल का सम्पूर्ण संचालन व अनुश्रवण तीनों विश्वविद्यालयों द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा जिसमें उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा।
10. इस वर्ष तीनों विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक कलेण्डर का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय।
11. विगत वर्षो में कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल तथा सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा द्वारा ऑनलाईन रू 50/– पंजीकरण शुल्क लिया जाता था तथा गढ़वाल मण्डल में ऐसी कोई सुविधा न होने के कारण विद्यार्थियों का पंजीकरण महाविद्यालयवार कराया जाता था, जिसमें विद्यार्थी को प्रत्येक महाविद्यालय में निश्चित पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना पड़ता था। उक्त के दृष्टिगत इस पोर्टल पर विद्यार्थी को एक बार रू 50/– पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा। जिसके पश्चात् विद्यार्थी से पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जायेगा। पंजीकृत होने के बाद विद्यार्थी अधिकतम 10 महाविद्यालयों में आवेदन कर सकता है।
12. उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत राजकीय महाविद्यालय पैठाणी में चिन्तन शिविर आयोजित किया जायें।
13. सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा को परिसरों में शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों का समायोजन की कार्यवाही सम्पन्न की जाए।

बैठक धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।

(शैलेश बगौली)
सचिव।

Signed by Shailesh Bagauli
Date: 12-07-2023 11:56:19

... Education Department on 12/07/2023 03:31 PM

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–1
संख्या–618/ XXIV-C-1/2023-12(12)2022
देहरादून, दिनांक 12 जून,2023

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. - प्रमुख निजी सचिव–मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
2. - बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागीगण।
3. - गार्ड फाइल।

Signed by Prashant Kumar Arya
Date: 12-07-2023 12:31:39

आज्ञा से,

(प्रशान्त आर्य)
अपर सचिव।

उच्च शिक्षा निदेशालय
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)
पृ0सं0:– 2467 /डिग्री प्लान/कार्यवृत्त/2023–24
दिनांकः 21 जुलाई, 2023

प्रतिलिपिः – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. समस्त प्राचार्य, शासकीय एवं अशासकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तराखण्ड।
02. सम्बन्धित पत्रावली।

(प्रो0 आर0 एस0 भाकुनी)
कृते निदेशक (उच्च शिक्षा)
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

...ARYA (IX) MA, REVIEW OFFICER, Higher Education Department on 12/07/2023 03:31 PM

उप निदेशक ... 21/7/23

सचिव, उच्च शिक्षा ,उत्तराखण्ड की अध्यक्षता मे दिनांक 23 मई, 2023 को सचिव उच्च शिक्षा कार्यालय, देहरादून में शैक्षणिक सत्र 2023–24 में प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश नियमावली एवं समर्थ पोर्टल से प्रवेश के सम्बन्ध में सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति–

- प्रो0 एन0के0 जोशी, कुलपति ,श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय।
- श्री प्रशान्त आर्य, अपर सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- प्रो0 चन्द्रदत्त सूंठा, निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- डॉ0 एम0एस0 मन्द्रवाल, कुलसचिव, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।
- श्री खेमराज भट्ट, कुलसचिव, श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय।
- प्रो0 ईला बिष्ट, कुलसचिव, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा उत्तराखण्ड।
- प्रो0 रशिम पन्त, कुलसचिव, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी।
- प्रो0 एम0एस0 रावत, प्राचार्य, श्रीदेव सुमन परिसर ऋषिकेश।
- डॉ0 एम0एस0एम0 रावत, सलाहकार रूसा, उच्च शिक्षा।
- प्रो0 संजय पन्त, कुमांऊ विश्वविद्यालय, नैनीताल उत्तराखण्ड।
- डॉ0 गोविन्द पाठक, सहायक निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय (हल्द्वानी)।
- श्री बी0आर0 आर्य, अनुभाग अधिकारी, उच्च शिक्षा अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन।
- डॉ0 दीपक कुमार पाण्डेय, सहायक निदेशक, उच्च शिंक्षा निदेशालय (क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून)।
- डॉ0 वी0पी0 श्रीवास्तव, परीक्षक नियंत्रक, श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय।
- डॉ0 देवेन्द्र सिंह बिष्ट, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा।
- डॉ0 मनोज कुमार बिष्ट, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा।
- डॉ0 चमन कुमार, नोडल अधिकारी समर्थ, डिजिटल इनीशियेटिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- डॉ0 शैलेन्द्र कुमार सिंह, सहायक नोडल अधिकारी, डिजिटल इनीशियेटिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड।

बैठक में कुमांऊ विश्वविद्यालय नैनीताल, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा एवं श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के साथ पूर्व में निर्धारित प्रवेश नियमावली की समीक्षा की गयी तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप वांछित परिवर्तनों पर चर्चा करते हुए सचिव महोदय द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये है:–

1. अध्याय 1– नियम 13 के अनुसार विद्यार्थियों हेतु अधिमान अंको की व्यवस्था की गयी है जिसमें बिन्दु सं0 च से ठ में प्रतियोगिताओं की परिभाषा निर्दिष्ठ नही थी जबकि यह प्रतियोगिता खेल से सम्बन्धित थी। अतः इन बिन्दुओं में अधिमान अंकों में खेल अंकित किया जाए।
2. अध्याय 1–14 बिन्दु सं0 (क) यदि कोई विद्यार्थी प्रथम सेमेस्ट में अपना संकाय

:nerated from eOffice by MAMTA ARYA, RO-MA, REVIEW OFFICER, Higher Education Department on 12/07/2023 03:40 PM

परिवर्तन करना चाहता है तो उसे अन्य संकाय में सर्वप्रथम पंजीकृत (पंजीकरण तिथि समाप्ति से पूर्व) होना अनिवार्य है तथा उसे संकाय की योगिता सूची में भी नाम आने की दशा में ही प्रवेश अनुमन्य होगा।

3. अध्याय 1–15 के अनुसार स्नातक कक्षा पूर्व में विद्यार्थियों हेतु इन्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त दो वर्ष के भीतर प्रवेश लेना अनिवार्य है तीसरे वर्ष वह विद्यार्थी प्रवेश न लेने की दशा में अन्र्ह हो जाता है। जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में GER में वृद्धि करने Multiple Entry and Multiple Exit करने हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। अतः उक्त के दृष्टिगत सभी विद्यार्थी उच्च शिक्षा में आवेदन करने हेतु अर्ह माने जायें तथा अध्याय 1– 15 नियम को शैक्षिक वर्ष 2023–24 से हटा दिया जाय।

4. अध्याय 1–17 के अनुसार विद्यार्थी को एक ही पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश अनुमन्य होगा, एक से अधिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर एक के अतिरिक्त अन्य सभी प्रवेश निरस्त कर दिये जाएंगे। एक ही विश्वविद्यालय परिसर/महाविद्यालय/सस्थान में किसी एक एडऑन पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक से अधिक उपाधि में पंजीकरण अनुमन्य किया गया है जिसमें एक उपाधि नियमति रूप से तथा दूसरा/अन्य पाठ्यक्रम ODL माध्यम से अनुमन्य होगा। किन्तु कक्षा का समय भिन्न होना चाहिए। अतः इस नियम को इस सीमा तक परिवर्तित किया जाय।

5. अध्याय 2–1 (क) के अनुसार उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद से अनुमोदित बोर्ड/ यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 उत्तीण छात्र/छात्रायें प्रवेश हेतु अर्ह होंगे। साथ ही अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग हेतु प्रत्येक संकाय के अन्तर्गत प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता में 5% अंकों की छूट अनुमन्य होगी। जबकि दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु भी 5% अंको की छूट अनुमन्य होती है अतः इस नियम को भी शामिल किया जाय।

6. अध्याय 2–1 (ख) के अनुसार यदि कोई छात्र स्नातक स्तर की प्रथम सेमेस्टर/प्रथम वर्ष की परीक्षा में अनुत्तीण हो गया हो अथवा प्रथम सेमेस्टर/प्रथम वर्ष के उपरान्त छात्र पुनः प्रथम सेमेस्टर में अपना संकाय (e.g.स्नातक स्तर पर विज्ञान से कला अथवा वाणिज्य) परिवर्तित कर परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश चाहता हैं तो ऐसे छात्र द्वारा परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विधिवत आवेदन करना होगा। जिसके उपरान्त ऐसे छात्र को सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश नियम 2–1 (क) के अनुसार तथा अवरोध वर्ष के लिए प्राप्तांकों में से 05 प्रतिशत अंक प्रतिवर्ष कम कर योग्यता सूची (Merit Index) में आने पर एवं सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय में सीट रिक्त होने की दशा में उस परिसर/महाविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिये जाने हेतु विचार किया जा सकता है। जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहीं भी इस तरह 5% प्रतिवर्ष अंक कम करने हेतु कोई नियम नही बनाया गया है

Generated from eOffice by MAMTA ARYA, RO-MA, REVIEW OFFICER, Higher Education Department on 12/07/2023 03:40 PM

अतः इसे इस वर्ष से हटा देना चाहिए।

7. अध्याय 2– 6 के अनुसार तीनों विश्वविद्यालय संकायवार माइनर विषयों की सूची उपलब्ध कराते हुए वेबसाइट पर भी अंकित करवायेंगे।
8. इस वर्ष योग्यता सूची (Merit Index) निर्मित करने हेतु 1000 अथवा 1200 स्केल का प्रयोग करते हुए विभिन्न बोर्ड से आये विद्यार्थियों को एक स्केल पर आका जायेगा तथा नियमानुसार मैरिट निर्मित की जायेगी।
9. विभिन्न वर्गों में श्रेणीवार सीटों का निर्धारण करने हेतु यदि कोई सीट 0.5 या उससे अधिक है तो उसे 1 सीट माना जायेगा तथा 0.5 से कम की सीट को शून्य माना जायेगा।
10. समस्त विश्वविद्यालय समर्थ पोर्टल से प्रवेश आहूत करने हेतु एक हेल्प लाइन डैस्क निर्मित करेंगे जिसमें प्रत्येक विश्वविद्यालय से एक कार्मिक नामित किया जाय तथा हेल्प लाइन नम्बर व ई–मेल आईडी भी उपलब्ध करायेंगे जिससे विद्यार्थी अपनी समस्या का समाधान कर सकें।
11. उपरोक्त समस्त परिवर्तनों को शामिल करते हुए यथाशीघ्र समस्त विश्वविद्यालय प्रवेश नियमावली निर्मित कर अपने विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा समर्थ पोर्टल पर अंकित करवायें।
12. समर्थ पोर्टल पर समस्त विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित महाविद्यालयों की सूची, उनमें संचालित पाठ्यक्रमों की सूची, विषयों की सूची, समूहों की सूची, उपरोक्त प्रवेश नियमावली अंकित की गयी है जिसकी सत्यता वं प्रमाणिकता की जांच कर एक गहन परीक्षण कर लें भविष्य में इनमें भिन्नता / त्रुटि पाये जाने पर सम्बन्धित कुलसचिव का उत्तरदायित्व तय किया जायेगा।

बैठक धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।

Signed by Prashant Kumar Arya
Date: 12-07-2023 13:39:32
(प्रशान्त आर्य)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–1
संख्या–699/XXIV-C-1/2023-12(12)2022
देहरादून, दिनांक 12 जून 2023

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- प्रमुख निजी सचिव–मा० उच्च शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
2- बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागीगण।
3– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Signed by Byomkesh Dubey
Date: 12-07-2023 15:38:12
(व्योमकेश दुबे)
उप सचिव।

Generated from eOffice by MAMTA ARYA, RO-MA, REVIEW OFFICER, Higher Education Department on 12/07/2023 03:40 PM

उच्च शिक्षा निदेशालय
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)
पृ0सं0:– 2467/डिग्री प्लान/कार्यवृत्त/2023–24
दिनांक: 21 जुलाई, 2023

प्रतिलिपि: – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. समस्त प्राचार्य, शासकीय एवं अशासकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तराखण्ड।
02. सम्बन्धित पत्रावली।

(प्रो0 आर0 एस0 भाकुनी)
कृते निदेशक (उच्च शिक्षा)
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

उपनिदेशक (प्लान) 21/7/23

मा0 उच्च शिक्षा मंत्री ,उत्तराखण्ड महोदय की अध्यक्षता मे दिनांक 19 मई, 2023 को विधानसभा कार्यालय देहरादून में शैक्षणिक सत्र 2023–24 में प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया समर्थ पोर्टल के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध मे सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति–

- श्री शैलेश बगौली, सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रो0 एन0के0 जोशी, कुलपति, श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय।
- प्रो0 जगत सिंह बिष्ट, कुलपति, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा उत्तराखण्ड।
- प्रो0 ओम प्रकाश सिंह नेगी, कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी।
- प्रो0 सुरेखा डंगवाल, कुलपति, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।
- श्री प्रशान्त आर्य, अपर सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- प्रो0 चन्द्रदत्त सूंठा, निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- डॉ0 एम0एस0एम0 रावत, सलाहकार रूसा, उच्च शिक्षा।
- प्रो0 संजय पन्त, प्रोफेसर, कुमांऊ विश्वविद्यालय, नैनीताल उत्तराखण्ड।
- डॉ0 गोविन्द पाठक, सहायक निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय (हल्द्वानी)।
- श्री बी0आर0 आर्य, अनुभाग अधिकारी, उच्च शिक्षा अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन।
- डॉ0 दीपक कुमार पाण्डेय, सहायक निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय (क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून)।
- डॉ0 एम0एस0 मन्द्रवाल, कुलसचिव, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।
- डॉ0 चमन कुमार, नोडल अधिकारी समर्थ, डिजिटल इनीशियेटिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- डॉ0 शैलेन्द्र कुमार सिंह, सहायक नोडल अधिकारी, डिजिटल इनीशियेटिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड।

बैठक में मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये :–

1. शैक्षणिक सत्र 2023–24 में कुमांऊ विश्वविद्यालय नैनीताल, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा एवं श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया उक्त एकीकृत समर्थ पोर्टल द्वारा सम्पादित की जायें।
2. पोर्टल पर विद्यार्थियों को एक बार पंजीकरण कराते हुए कुमांऊ विश्वविद्यालय नैनीताल, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा एवं श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अधिकतम 10 महाविद्यालयों (राजकीय, अनुदानित व निजी) में आवेदन करने की सुविधा प्रदान की जायेगी।
3. पोर्टल को 'एक प्रवेश, एक परीक्षा, एक परिणाम, एक दीक्षान्त समारोह' के अनुरूप विकसित/संचालित किया जायें। पोर्टल के माध्यम से प्रवेश हेतु विद्यार्थियों के पंजीकरण के उपरान्त मैरिट लिस्ट बनायी जाय एवं विद्यार्थियों के अभिलेखों का भौतिक सत्यापन करने के उपरान्त ही प्रवेश शुल्क लेते हुये प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित की जायें।
4. महाविद्यालय/परिसर के प्रवेश शुल्क का भुगतान के सम्बन्ध में समस्त कुलपतियों द्वारा सुझाव दिया गया कि इस वर्ष भी प्रत्येक संस्थान प्रवेश शुल्क पूर्व की भांति अपनी संस्थागत सुविधा के अनुसार ही भुगतान प्रक्रिया को जारी रखें। जिस पर सभी उपस्थित अधिकारियों द्वारा सहमति जताते हुए इस वर्ष भुगतान प्रक्रिया पूर्व की भांति ही महाविद्यालयों/परिसर स्तर पर उनकी सुविधानुसार जारी रखी जायेगी, किन्तु विद्यार्थियों द्वारा किये गये शुल्क का भुगतान का अंकन

समस्त महाविद्यालयों/परिसर द्वारा इस पोर्टल पर करना अनिवार्य रहेगा।

5. पोर्टल को लॉच करने के उपरान्त पंजीकरण प्रक्रिया 24 जून, 2023 तक जारी रहेगी तथा 25 जून, 2023 से समस्त महाविद्यालयों/परिसर पोर्टल के माध्यम से मैरिट निर्मित कर प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करेंगे। यह प्रक्रिया 08 जून, 2023 तक निरन्तर जारी रहेगी तथा 10 जुलाई 2023 को प्रथम सेमेस्टर की कक्षाऐं प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
6. समस्त विश्वविद्यालय ERP से सम्बन्धित समस्त कार्य समर्थ पोर्टल के माध्यम से ही संचालित करेंगे तथा पृथक ERP सिस्टम का प्रयोग भविष्य में पृथक रूप से नही किया जायेगा।
7. पोर्टल के सम्बन्ध में समस्त विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा निदेशालय तथा समस्त महाविद्यालय समय–समय पर प्रचार करेंगे तथा विद्यार्थियों हेतु इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रयास करेंगे।
8. समस्त विश्वविद्यालय पोर्टल पर प्रवेश नियमावली, विवरणिका, हेल्प लाइन, नम्बर इत्यादि अंकित करवायेंगे तथा इस पोर्टल पर विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित समस्त महाविद्यालयों/परिसरों में संचालित पाठ्यक्रमों, विषयों व समूहों, प्रवेश नियम, आरक्षण नियम इत्यादि त्रुटिरहित रूप में अंकित करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त के सम्बन्ध में त्रुटि के आसार न्यूनतम हो।
9. पोर्टल का सम्पूर्ण संचालन व अनुश्रवण तीनों विश्वविद्यालयों द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा जिसमें उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा।
10. इस वर्ष तीनों विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक कलेण्डर का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय।
11. विगत वर्षो में कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल तथा सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा द्वारा ऑनलाईन रू 50/– पंजीकरण शुल्क लिया जाता था तथा गढ़वाल मण्डल में ऐसी कोई सुविधा न होने के कारण विद्यार्थियों का पंजीकरण महाविद्यालयवॉर कराया जाता था, जिसमें विद्यार्थी को प्रत्येक महाविद्यालय में निश्चित पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना पड़ता था। उक्त के दृष्टिगत इस पोर्टल पर विद्यार्थी को एक बार रू 50/– पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा। जिसके पश्चात् विद्यार्थी से पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जायेगा। पंजीकृत होने के बाद विद्यार्थी अधिकतम 10 महाविद्यालयों में आवेदन कर सकता है।
12. उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत राजकीय महाविद्यालय पैठाणी में चिन्तन शिविर आयोजित किया जायें।
13. सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा को परिसरों में शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों का समायोजन की कार्यवाही सम्पन्न की जाए।

बैठक धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।

(शैलेश बगौली)
सचिव।

Signed by Shailesh Bagauli
Date: 12-07-2023 11:56:19

... Education Department on 12/07/2023 03:31 PM

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–1
संख्या–618/ XXIV-C-1/2023-12(12)2022
देहरादून, दिनांक 12 जून,2023

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. - प्रमुख निजी सचिव–मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
2. - बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागीगण।
3. - गार्ड फाइल।

Signed by Prashant Kumar Arya
Date: 12-07-2023 12:31:39

आज्ञा से,

(प्रशान्त आर्य)
अपर सचिव।

उच्च शिक्षा निदेशालय
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)
पृ0सं0:– 2467 /डिग्री प्लान/कार्यवृत्त/2023–24
दिनांकः 21 जुलाई, 2023

प्रतिलिपिः – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. समस्त प्राचार्य, शासकीय एवं अशासकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तराखण्ड।
02. सम्बन्धित पत्रावली।

(प्रो0 आर0 एस0 भाकुनी)
कृते निदेशक (उच्च शिक्षा)
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

... REVIEW OFFICER Higher Education Department on 12/07/2023 03:31 PM